कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ–5 / 1126 / 2022 / 10–11 / 3108 भोपाल, दिनांक 12-7-23

प्रेषक :–

सुनील अग्रवाल, (भा.व.से.)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,
लिंक रोड़ नं. 3, ई–5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषयः– बुरहानपुर जिले में सुक्ता नवाड़ से झिरपांजरिया मार्ग उन्नयन हेतु 2.38 हेक्टेयर वनभूमि लोक निर्माण विभाग, बुरहानपुर को उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक / 6-MPB 015/2022-BHO दिनांक 01.03.2023.

----0----

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपने विषयांकित प्रकरण की प्रथम चरण सैद्धांतिक सशर्त स्वीकृति प्रदान की गई थी। स्वीकृति पत्र में उल्लेखित शर्तों का पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार है :–

शर्तें–A

1– शर्त क्रमांक A(1) के पालन में आवेदक संस्थान ने वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की लागत राशि रू0 28,63,288 / – यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में दिनांक 17.06.2023 को ऑनलाईन जमा की जा चुकी है।

2– शर्त क्रमांक (2) के पालन में प्रकरण में आवेदक द्वारा दिए गए निर्देशानुसार वृक्षारोपण का कार्य किया जावेगा।

3– शर्त क्रमांक (3) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा दी गई गैर वनभूमि वन विभाग को हस्तांतरित / नामान्तरित कर दी गई है। कलेक्टर का आदेश दिनांक 28.02.2022, फार्म पी–2 आदि की छायाप्रति संलग्न है।

4– शर्त क्रमांक (4) के पालन में प्रकरण में प्राप्त गैर वनभूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत् वन अधिसूचित करने की कार्यवाही प्रचलित है।

5– शर्त क्रमांक (5) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा नेट प्रजेन्ट वैल्यू की राशि रुपये 15,94,933 / – यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में दिनांक 17.06.2023 को ऑनलाईन जमा की जा चुकी है।

6– शर्त क्रमांक (6) के पालन में प्रकरण में प्राप्त वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की राशि एवं नेट प्रजेंट वैल्यू की राशि एड–हॉक कैम्पा के अन्तर्गत यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ऑनलाईन दिनांक 17.06.2023 को जमा की जा चुकी है।

7– शर्त क्रमांक (7) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा वनाधिकार अधिनियम के तहत कलेक्टर बुरहानपुर का प्रमाण पत्र दिनांक 16.03.2022 प्रस्तुत किया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

8– शर्त क्रमांक (8) के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।

9– शर्त क्रमांक (9) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का शर्तवार पालन प्रतिवेदन पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।

10– शर्त क्रमांक (10) के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।

शर्ते–B

1– शर्त क्रमांक (1) के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।

2– शर्त क्रमांक (2) के पालन में आवेदक संस्था द्वारा अतिरिक्त एन.पी.वी. जमा करने का वचन पत्र दिया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

3– शर्त क्रमांक (3) से (16) तक के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रथम चरण सैद्धांतिक स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन पूर्ण हो गया है। कृपया प्रकरण की अंतिम औपचारिक स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

12/07/2023

(सुनील अग्रवाल)

पृ. क्रमांक / एफ–5 / 1126 / 2022 / 10–11 / 3109 भोपाल, दिनांक 12/7/23

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), खण्डवा वृत्त, खण्डवा, मध्यप्रदेश।
2. वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश।
3. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संभाग बुरहानपुर, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

12/07/2023

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल